

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी/2025/राभा-2/1

दिनांक :- 28/6/25

| महाप्रबंधक, (राजभाषा)           | महाप्रबंधक, (राजभाषा)             | महानिदेशक                     | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक          |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| मध्य रेलवे, मुंबई               | दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर | अनुसंधान अभिकल्प एवं          | आरवीएनएल, नई दिल्ली                |
| पूर्व रेलवे, कोलकाता            | दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली        | मानक संगठन, लखनऊ.             | रेलटेल, नई दिल्ली                  |
| उत्तर रेलवे, नई दिल्ली          | पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर         | भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी,  | कंटेनर कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली   |
| पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर       | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण),  | वडोदरा.                       | आईआरसीटीसी, नई दिल्ली              |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी | गुवाहाटी                          | इरिसेन, पुणे.                 | राइट्स, गुरुग्राम                  |
| दक्षिण रेलवे, चैन्ने            | मैट्रो रेलवे, कोलकाता             | इरिमि, जमालपुर.               | इस्कॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली    |
| दक्षिण मध्य रेलवे,              | रेल विद्युतीकरण संगठन,            | इरिएन, नासिक रोड.             | आईआरएफसी, नई दिल्ली                |
| सिकंदराबाद                      | प्रयागराज                         | इरिसेट, सिकंदराबाद.           | <u>प्रबंध निदेशक</u>               |
| दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता     | बरेका, वाराणसी                    | इरिटिम, लखनऊ.                 | क्रिस, नई दिल्ली                   |
| पश्चिम रेलवे, मुंबई             | सडिका, चैन्ने                     | भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन  | डीएफसीसीएल, नई दिल्ली              |
| उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज     | रेडिका, कपूरथला                   | संस्थान, सिकंदराबाद           | <u>उपाध्यक्ष</u>                   |
| पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर       | चिरेका, चित्तरंजन                 | <u>प्रधान मुख्य प्रशासनिक</u> | आंरएलडीए, नई दिल्ली                |
| पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर       | रेपका, बेंगलुरु                   | <u>अधिकारी</u>                | <u>अध्यक्ष</u>                     |
| उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर       | <u>रजिस्टार</u>                   | पटियाला रेलइंजन               | सभी रेल भर्ती बोर्ड                |
|                                 | रेल दावा अधिकरण, नई दिल्ली        | कारखाना, पटियाला              | <u>प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त</u> |
|                                 |                                   | आर डब्ल्यू एफ, बेला           | <u>रे.सु.वि.ब</u>                  |
|                                 |                                   | डब्ल्यू पी ओ, पटना            | कमानडेंट/सभी बटालियन               |
|                                 |                                   | एम सी एफ, रायबरेली            |                                    |

विषय: तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में किए गए संशोधन के संबंध में।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 19/3/2025 के का.जा. सं.20003/01/2024-रा.भा. (का.-2) के तहत तिमाही प्रगति रपट के प्रोफार्मा में संशोधन किए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा भी तिमाही प्रगति रपट में संशोधन किए गए हैं। संशोधित प्रोफार्मा इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया अपने कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संशोधित प्रोफार्मा के अनुसार ही भरना सुनिश्चित करें। साथ ही संशोधित प्रोफार्मा 1 अप्रैल 2025 अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा। अतः तदनुसार कार्रवाई करें।

यह भी अनुरोध है कि उक्त के संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी अवगत कराएं और उनसे संशोधित प्रोफार्मा में ही सूचनाएं प्राप्त करें।

संशोधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रोफार्मा राजभाषा विभाग की वेबसाइट [www.rajbhasha.nic.in](http://www.rajbhasha.nic.in) पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नक: संशोधित प्रोफार्मा

28/6/25  
(डॉ. वी. सुगुणा)  
निदेशक/राजभाषा  
रेलवे बोर्ड

उपक्रम

## राजभाषा संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट

-----को समाप्त तिमाही

भाग-I ( प्रत्येक तिमाही में भरा जाए )

रेलवे-----कार्यालय-----

### 1. सीएमडी/समकक्ष स्तर पर बैठकों/फाइलों का ब्यौरा

|     |                                                                                     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1 | सीएमडी/कार्यालय प्रमुख/समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गईं                    |  |
| 1.2 | इनमें से कितनी बैठकों की कार्यवाही हिंदी में की गई/कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए |  |
| 1.3 | सीएमडी/कार्यालय प्रमुख/समकक्ष के स्तर से सीधे जारी किए कुल कागजात                   |  |
| 1.4 | हिंदी में जारी किए गए कागजात की कुल संख्या                                          |  |

### 2. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) (लक्ष्य - 100%)

| क्र.सं. | मद                                                                                            | कुल | द्विभाषी | केवल अंग्रेजी में | द्विभाषी का % |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------------|
| 2.1     | सामान्य ओदश, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि                                                       |     |          |                   |               |
| 2.2     | अधिसूचनाएं(राजपत्र में प्रकाशित)                                                              |     |          |                   |               |
| 2.3     | प्रेस विज्ञप्ति/रिलीज/टिप्पणियां                                                              |     |          |                   |               |
| 2.4     | संविदाएं                                                                                      |     |          |                   |               |
| 2.5     | करार                                                                                          |     |          |                   |               |
| 2.6     | लाइसेंस                                                                                       |     |          |                   |               |
| 2.7     | परमिट                                                                                         |     |          |                   |               |
| 2.8     | टेंडर के फार्म और नोटिस                                                                       |     |          |                   |               |
| 2.9     | संकल्प                                                                                        |     |          |                   |               |
| 2.10    | नियम                                                                                          |     |          |                   |               |
| 2.11    | संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा)                  |     |          |                   |               |
| 2.12    | संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें                            |     |          |                   |               |
| 2.13    | प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें (संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा) |     |          |                   |               |
|         | कुल जोड़                                                                                      |     |          |                   |               |

### 3. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर (लक्ष्य- 100%)\*

|     |                                        |  |
|-----|----------------------------------------|--|
| 3.1 | हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या |  |
| 3.2 | जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए           |  |
| 3.3 | जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए        |  |
| 3.4 | जिनके उत्तर अपेक्षित नहीं थे           |  |
| 3.5 | हिंदी का प्रतिशत                       |  |



**4. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति\***

| क्र.सं. | क्षेत्र का विवरण                                                                                              | अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्र | उत्तर हिंदी में | उत्तर अंग्रेजी में | उत्तर अपेक्षित नहीं | हिंदी का प्रतिशत |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 4.1     | "क" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/ संस्थानों अथवा इनके अधीनस्थ कार्यालयों से |                               |                 |                    |                     |                  |
| 4.2     | "क" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार या संघ क्षेत्रों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों से                                 |                               |                 |                    |                     |                  |
| 4.3     | कुल                                                                                                           |                               |                 |                    |                     |                  |
| 4.4     | "ख" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/ संस्थानों अथवा इनके अधीनस्थ कार्यालयों से |                               |                 |                    |                     |                  |
| 4.5     | "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार या संघ क्षेत्रों अथवा अधीनस्थ कार्यालयों से                                 |                               |                 |                    |                     |                  |
| 4.6     | कुल                                                                                                           |                               |                 |                    |                     |                  |
| 4.7     | कुल जोड़ (4.3 + 4.6)                                                                                          |                               |                 |                    |                     |                  |

**5. हिंदी में मूल पत्राचार\***

| क्र.सं. | क्षेत्र का विवरण                                                                                          | कुल संख्या | हिंदी/ द्विभाषी में | अंग्रेजी में | हिंदी/द्विभाषी का % |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5.1     | "क" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/ संस्थानों आदि को भेजे गए |            |                     |              |                     |
| 5.2     | "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों एवं उनके कार्यालयों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए                      |            |                     |              |                     |
| 5.3     | कुल                                                                                                       |            |                     |              |                     |
| 5.4     | "ख" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों आदि को भेजे गए  |            |                     |              |                     |
| 5.5     | "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों एवं उनके कार्यालयों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए                      |            |                     |              |                     |
| 5.6     | कुल                                                                                                       |            |                     |              |                     |
| 5.7     | "ग" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों आदि को भेजे गए  |            |                     |              |                     |
| 5.8     | "ग" क्षेत्र की राज्य सरकारों एवं उनके कार्यालयों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे गए                      |            |                     |              |                     |
| 5.9     | कुल                                                                                                       |            |                     |              |                     |
| 5.10    | कुल जोड़ (5.3+5.6+5.9)                                                                                    |            |                     |              |                     |

\*मद सं. 3 ,4 व 5 के संबंध में हिंदी में भेजे गए तथा प्राप्त अधिकारिक ई-मेल को भी शामिल किया जाए।

**6. अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की स्थिति (एमटीएस कर्मचारियों को छोड़कर)**

| क्र.सं. |                                   | अधिकारी                                     |                                         | कर्मचारी | कुल सं. |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|
|         |                                   | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा उससे ऊपर स्तर के | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से निचले स्तर के |          |         |
| 6.1     | अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल सं. |                                             |                                         |          |         |
| 6.2     | हिंदी में प्रवीणता प्राप्त        |                                             |                                         |          |         |
| 6.3     | हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त |                                             |                                         |          |         |
| 6.4     | जो हिंदी में प्रशिक्षण पा रहे हैं |                                             |                                         |          |         |
| 6.5     | हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष        |                                             |                                         |          |         |

**7. हिंदी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में काम**

| क्र.सं. | अधिकारी /कर्मचारी द्वारा                    | कुल सं. | बिल्कुल नहीं करते हैं | नगण्य (25%) | सामान्य (26 से 75%) | अधिकांशतः (75% से अधिक) | शत प्रतिशत (100%) |
|---------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 7.1     | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा उससे ऊपर स्तर के |         |                       |             |                     |                         |                   |
| 7.2     | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से निचले स्तर के     |         |                       |             |                     |                         |                   |
| 7.3     | कर्मचारी                                    |         |                       |             |                     |                         |                   |
|         | कुल सं.                                     |         |                       |             |                     |                         |                   |

**8. तिमाही के दौरान दी गई डिक्टेशन**

|     | अधिकारी                                     | हिंदी में | अंग्रेजी में | कुल संख्या | प्रतिशत |
|-----|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------|
| 8.1 | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा उससे ऊपर स्तर के |           |              |            |         |
| 8.2 | कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से निचले स्तर के     |           |              |            |         |

**9. फाइलों पर हिंदी में कार्य\*\***

|                                                  | हिंदी में | अंग्रेजी में | कुल संख्या | प्रतिशत |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------|
| तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां               |           |              |            |         |
| ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या |           |              |            |         |

**\*\*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए।**

10. हिंदी में कार्यशालाएं

| तिमाही के दौरान कार्यशाला आयोजन की तिथि एवं संख्या | प्रशिक्षण की अवधि (घंटों में) | प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या | प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या | कुल संख्या |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                    |                               |                                 |                                  |            |

11. हिंदी आशुलिपि/टाइपिंग का ज्ञान

|                 | कुल संख्या | हिंदी में प्रशिक्षित | प्रशिक्षितों में से कितने हिंदी में काम करते हैं। | प्रशिक्षण के लिए शेष |
|-----------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| आशुलिपिक        |            |                      |                                                   |                      |
| टाइपिस्ट /लिपिक |            |                      |                                                   |                      |

12. शीर्षस्थ प्रशासनिक/विभागीय बैठकें (राजभाषा संबंधी बैठकों को छोड़कर)

|      |                                                                 |  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 12.1 | बैठकों की संख्या                                                |  |
| 12.2 | कितनी बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाइयां पूरी तरह हिंदी में की गई |  |

13. तिमाही के दौरान किए गए विशेष कार्यों का ब्यौरा -

हस्ताक्षर-----

हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम-----

पदनाम-----टेलीफोन नं.-----

मोबाइल नं.-----



## भाग - II

(इस भाग में सूचनाएं पूरे वित्तीय वर्ष की दी जाएं। इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भेजा जाए)

### 1. राजभाषा नियम 10(4) के संबंध में सूचना.

| अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या | अधिसूचित कार्यालयों की संख्या |
|------------------------------|-------------------------------|
|                              |                               |

### 2. अनुवाद का ज्ञान

|                                                                                                    | अधिकारी | कर्मचारी | कुल संख्या |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं*                                                     |         |          |            |
| उक्त में से कितनों को अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हैं।                                         |         |          |            |
| कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।                                                              |         |          |            |
| कितने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित ई-टूल्स(मंत्रा, श्रुतलेखन, ई-महाशब्दकोष आदि) का प्रयोग करते हैं। |         |          |            |

### 3. कंप्यूटर से संबंधित विवरण

| कुल संख्या | द्विभाषी | केवल अंग्रेजी में | यूनिकोड समर्थित |
|------------|----------|-------------------|-----------------|
|            |          |                   |                 |

### 4. हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण

| कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या | कंप्यूटर पर हिंदी में प्रशिक्षितों की संख्या | कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों की संख्या |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                      |                                              |                                                |

| 5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि                           | कुल संख्या | द्विभाषी/हिंदी में | केवल अंग्रेजी में |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| (क) अधिनियम/नियम, कार्यालयीन कोड/मैनुअल प्रक्रिया साहित्य, आदि |            |                    |                   |
| (ख) मानकीकृत प्रपत्र                                           |            |                    |                   |

6. राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट अनुभाग

(क) कुल अनुभागों की संख्या \_\_\_\_\_

(ख) हिंदी में कार्य के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों की संख्या \_\_\_\_\_

7. प्रशिक्षण सामग्री की द्विभाषी उपलब्धता

(i) पूरे वर्ष में तैयार प्रशिक्षण सामग्री की कुल संख्या \_\_\_\_\_

(ii) हिंदी/द्विभाषी सामग्री की संख्या \_\_\_\_\_

(iii) केवल अंग्रेजी में सामग्री की संख्या \_\_\_\_\_

8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षण

(क)(i) अनुभागों की कुल संख्या \_\_\_\_\_

(ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या \_\_\_\_\_

(ख)(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि की कुल संख्या \_\_\_\_\_

(ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या \_\_\_\_\_

9. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय को दिए गए आश्वासन

|                                                    | समिति द्वारा<br>किए गए<br>निरीक्षण<br>तिथि | दिए गए<br>आश्वासनों की<br>संख्या | तिमाही के दौरान पूरे<br>किए गए आश्वासनों<br>की संख्या | शेष<br>आश्वासनों<br>की संख्या |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| पिछली तिमाहियों के<br>लंबित आश्वासन(यदि<br>कोई हो) |                                            |                                  |                                                       |                               |
| वर्तमान तिमाही में<br>दिए गए आश्वासन               |                                            |                                  |                                                       |                               |

10. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन (ई-पत्रिका सहित)

|                     | कुल<br>संख्या | हिंदी/द्विभाषी<br>में | केवल अंग्रेजी<br>में | प्रकाशन की<br>तिथि | पृष्ठों की संख्या |
|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| (क) पत्रिकाएं       |               |                       |                      |                    |                   |
| (ख) अन्य<br>प्रकाशन |               |                       |                      |                    |                   |

11. हिंदी पुस्तकों की खरीद (सीडी, डीवीडी, डाक्यूमेंट्री व ई-बुक सहित)

(i) वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय \_\_\_\_\_

(ii) इसमें से हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय \_\_\_\_\_

| 12. हिंदी के पद                             | पदनाम | पदों की संख्या |       | कब से रिक्त है |
|---------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|                                             |       | स्वीकृत        | रिक्त |                |
| (क) मुख्यालयों में                          |       |                |       |                |
| (ख) सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में |       |                |       |                |

13. वेबसाइट

| वेबसाइट का पता | केवल अंग्रेज़ी में | आंशिक रूप से हिंदी में | पूरी तरह से द्विभाषी |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
|                |                    |                        |                      |

14. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट कार्यो का संक्षिप्त विवरण:-

(क) हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह (कब से कब तक) -----

(ख) हिंदी संगोष्ठी की तिथि और विषय -----

(ग) हिंदी में अन्य आयोजन की तिथि और विषय -----

(घ) हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पुस्तकों का विवरण -----

हस्ताक्षर-----

हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम-----

पदनाम-----टेलीफोन नं.-----

मोबाइल नं.-----